



पी.यू.कैट 2020-21 प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

एतद्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु गठित समिति (पी.यू.कैट 2020-21) की बैठक दिनांक-20 जुलाई 2020 के प्रस्ताव/संस्तुति पर कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-22.07.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रू0-500/- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिए रू0-250/- जमा कराना होगा।
2. बी0टेक0 प्रथम वर्ष में अतिरिक्त 40 सीट (प्रत्येक ब्रान्च) में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षण शुल्क रू0-1,00,000/- (एक लाख) के स्थान पर रू0-61,000/- (एकसठ हजार) लिया जायेगा। यह व्यवस्था मात्र वर्ष 2020-21 के लिए लागू होगी। इस वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थियों से द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में भी यही शिक्षण शुल्क जमा कराना होगा।
3. सीधे प्रवेश हेतु आवेदन फार्म आनलाईन अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों, जाति प्रमाण-पत्र तथा वेटेज सम्बन्धी प्रमाणपत्रों को भी आवेदन पत्र के साथ आनलाईन अपलोड करेगा।
4. अभ्यर्थियों द्वारा आनलाईन पूरित आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों को विश्वविद्यालय परिसर के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित प्रवेश समन्वयक के सत्यापन के उपरान्त ही प्रवेश/शिक्षण शुल्क जमा किया जायेगा।
5. प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आनलाईन उपलब्ध कराये गये शैक्षिक प्रमाणपत्रों एवं अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए विभागवार यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया

जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने के लिए आनलाईन प्लेटफार्म से संदेश प्रेषित किया जायेगा तथा आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को उसके दूरभाष नम्बर या ई-मेल पर सूचित किया जायेगा।


6. जिन विभागों/पाठ्यक्रमों में सीटों के सापेक्ष प्रवेश हेतु आवेदन फार्म अधिक आये हैं, ऐसे विभागों/पाठ्यक्रमों में आरक्षण नियमों का पालन करते हुये मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा। उसके उपरान्त रिक्त सीटों पर सीधा प्रवेश लिया जायेगा।
7. प्रवेश हेतु आनलाईन शुल्क जमा करने की वरियता दिया जाय किन्तु विशेष परिस्थिति में आफ-लाईन शुल्क भी जमा कराया जा सकता है।
8. प्रवेश की अर्हता पूर्ण न करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी का जमा सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क वापस किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सभी सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सहा० कुलसचिव
(प्रवेश प्रकोष्ठ)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष/संयोजक/सदस्य-पी.यू.कैट 2020-21।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक विश्वविद्यालय परिसर पाठ्यक्रम।
3. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाईट को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित निर्देशों को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5. वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी।
6. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव।
7. आशुलिपिक परीक्षा नियन्त्रक।


22/7/2020
सहा० कुलसचिव
(प्रवेश प्रकोष्ठ)